न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 02/2018 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00010

उनवान

देवी सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति ठाकुर निवासी सिंघावली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. दामोदर पुत्र पांच्या
2. वादामी पत्नि स्व0 रामखिलाडी
3. दुर्ग सिंह पुत्र स्व0 रामखिलाडी

} जाति कुशवाह नि0 नगला समाहद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

4. श्रीमती राधा पुत्री स्व0 रामखिलाडी पत्नि विजय सिंह जाति कुशवाह निवासी उच्चैन उप तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
5. श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 रामखिलाडी पत्नि तेज सिंह जाति कुशवाह निवासी उच्चैन उप तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
6. पूरन
7. गंगा सिंह
8. बहादुर

} पुत्र स्व0 भैरो जाति कुशवाह नि0 नगला समाहद तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

9. श्रीमती केशो पुत्री स्व0 भैरों पत्नि लक्ष्मन सिंह जाति कुशवाह निवासी नियातपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

10. जीवन सिंह पुत्र देवी सिंह जाति ठाकुर निवासी सिंघावली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.2017 प्रकरण संख्या 204/2016 उनवान देवी सिंह बनाम पांच्या, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास।

अभिभाषकगण :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–13.01.2022

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिंघावली तहसील रूपवास में स्थित है। विवादित आराजी पर वादी/अपीलाण्ट एवं उनके पिता व बाबा का कब्जा काश्त करीब 50 सालो से चला आ रहा है एवं आज भी है। विवादित आराजी पर वादी/अपीलाण्ट के बाबा द्वारा कुँआ व बगीची आदि लगाई हुयी है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

काश्त है एवं ना ही वह ग्राम सिंघावली के ही रहने वाले हैं। परन्तु विवादित आराजी के इन्द्राज वादी/अपीलाण्ट की अदम जानकारी में ना जाने कब और कैसे प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के नाम आ गये। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/रैस्पो0 विवादित आराजी से वादी/अपीलाण्ट को बेदखल करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलांट एक तरफा सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित भूमि वाके ग्राम सिंघावली के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अपीलाण्ट के पूर्वजो ने खसरा नम्बर 560 में कुँआ व धर्मशाला का निर्माण कराया था व बगीची लगाई थी जो आज भी मौजूद है। संवत 2016 लगायत 2019 की जमाबंदी के अनुसार अपीलाण्ट के पिता खुदकाश्त दर्ज है तथा कुँआ में बीजक जसवंत के नाम का लगा हुआ है। रैस्पो0 का उक्त भूमि से कोई संबंध व सारोकार नहीं कभी नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 द्वारा राजीनामा भी पेश किया गया था। परन्तु उक्त राजीनामा के आधार पर अपीलाण्ट का दावा डिक्री नहीं किया जाकर खारिज कर दिया। जबकि राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि जब रिकार्ड के आधार पर खातेदारी साबित हो रही है तो उसमें स्टाम्प डयूटी की बचत का कोई प्रश्न ही नहीं था एवं यदि था भी तो अधीनस्थ न्यायालय को स्टाम्प डयूटी लगाते हुये, दावा अपीलाण्ट डिक्री करना चाहिये था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे 1994(1) पेज 133, आरआरडी 1993 पेज 821 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, दावा वादी/अपीलाण्ट डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलाण्ट का दावा पंजीयन शुल्क की राजकीय हानि होना माना जाकर खारिज किया है। हम पाते हैं कि जब प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो ही गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जाना अधिक न्यायोचित होता। आरबीजे 1994(1) पेज 133 में भी यह ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

When compromise in writing and duly signed is presented in the court the court is bound to prepare a decree in terms of compromise.

यदि उक्त राजीनामा से प्रकरण में मुद्रांक पंजीयन शुल्क की अपवंचना थी तो अधीनस्थ न्यायालय को स्टाम्प डयूटी लगाते हुये, दावा अपीलाण्ट डिक्री करना चाहिये था। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2017 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रकरण में मुद्रांक व पंजीयन शुल्क लगाते हुये, मुताबिक राजीनामा पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.02.2022 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13-01-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर